



1695/OT Cell
04/06/18


**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION HARYANA
PANCHKULA**

आदेश क्रमांक 10/17-13 प्रशा0 (4)

दिनांक, पंचकूला 01-06-2018

महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान विभाग हरियाणा से प्राप्त पत्र क्रमांक DG&RD/Admin/GemPortal/2018/1508-1590 दिनांक 08.05.2018 जो कि विभाग में पूर्व तीन वर्ष से आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/बोलीदाताओं को GeM Portal पर पंजीकरण करवाने से सम्बन्धित है, निम्नलिखित को सुचनार्थ/ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा गुरुग्राम।
3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
4. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
5. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
6. मुख्यालय के सभी अधिकारी/अधीक्षक।
7. अशीक्षक लेखा शाखा।
8. रजिस्ट्रार सैकेन्डरी शिक्षा।
9. अधीक्षक प्रशासन शाखा प्राईमरी।
10. पी0एस0/निदेशक सैकेन्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
11. निजि सहायक/ अतिरिक्त निदेशक प्रशा0।
12. निजि सहायक/संयुक्त निदेशक प्रशासन।
13. प्राशासन शाखा में कार्यरत सभी सहायक।
14. आई.टी सैल- वेबसाईट पर अपलोड करने बारे।


अधीक्षक प्रशासन
कृते: निदेशक सैकेन्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला।

2393 Admn
17/5/18

SUPPLIES & DISPOSALS DEPARTMENT, HARYANA
S.C.O. No. 09, 1st & 11th Floor, Sector-16, Panchkula-134109 (Haryana)
Ph.:- 0172-2570121, 123, 124. Fax No.:- 0172-2570122.

प्रेषक

महानिदेशक,
आपूर्ति एवं निपटान विभाग, हरियाणा,


सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा राज्य में।
2. सभी मण्डल आयुक्त, हरियाणा राज्य में।
3. सभी प्रबंध निदेशक/ मुख्य प्रशासक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सभी बोर्ड/कॉर्पोरेशनज/निगमों/अभिकरण/परिषदों और राज्य सरकार अधीन अन्य उपक्रम, हरियाणा राज्य में।
4. सभी रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय, हरियाणा राज्य में।
5. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य में।

MEMO No. D.G&RD/Admin/Brem Portal [2018]-1508-1590 दिनांक 08/05/2018

विषय:- आपके विभाग में पूर्व तीन वर्ष से आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/बोलीदाताओं को GeM Portal पर पंजीकरण करवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष/ मण्डल आयुक्त/प्रबंध निदेशक/ मुख्य प्रशासक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सभी बोर्ड/कॉर्पोरेशनज/निगमों/अभिकरण/परिषदों और राज्य सरकार अधीन अन्य उपक्रम/ रजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय/ उपायुक्तों जोकि आपके साथ आपूर्तिकर्ता/विक्रेता/बोलीदाताओं पूर्व तीन वर्ष से कार्य कर रहे हैं उन सभी को GeM Portal पर पंजीकृत करवाये और इसके संदर्भ में महानिदेशक, आपूर्ति-एवं निपटान विभाग, हरियाणा को 15 दिनों के अन्दर-2 अवगत करवाए ताकि विभाग द्वारा आगामी कार्यवाही की जा सके।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
कृते: महानिदेशक पूर्ति एवं निपटान विभाग, हरियाणा